



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 348]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2025—अग्रहायण 21, शक 1947

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2025

क्र. एफ-AJU-1-0017-2025-O/o Minister-उनसठ (AYU).—भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एन.सी.आई.एस.एम.) भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र क्र. 1-1-2025—एएसीसीसी, दिनांक 10 दिसम्बर 2025 द्वारा प्रवेश तिथि में वृद्धि करते हुए अंतिम तिथि दिनांक 20 दिसम्बर 2025 तक निर्धारित की गई है.

2. शिक्षण सत्र 2025-26 की स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की काउंसलिंग में रिक्त रह गई सीटों की पूर्ति हेतु छात्रहित में इस विषय पर जारी प्रवेश नियमों के बिन्दु क्रमांक 16.4 (2) में शिथिलता प्रदान करते हुए इस शिक्षण सत्र 2025-26 में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरणों की काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों द्वारा कॉलेज आवंटन के पश्चात् भी अन्य कारणों से प्रवेश नहीं लिया जा सका है, वो आगामी स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड (काउंसलिंग) में भाग ले सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रंजना देवड़ा, उपसचिव.